जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 01.10.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 भैंस व 01 छुरी बरामदः-

आज दिनांक 01.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 01 पशु चोर को चोरी की 02 भैंस व 01 छुरी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त द्वारा भैंसों को थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर क्षेत्र से चोरी करना बताया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उस्मान पुत्र इरफान निवासी ग्राम माजरी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की 02 भैंस।

2.एक अवैध छुरी।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कमला कालोनी में घर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान व नगदी बरामदः-</u>

आज दिनांक 01.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कमला कालोनी में घर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 03 अभियुक्तो को चोरी किये गये सामान व नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनाँक 27.09.2024 को श्री रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जितेन्द्र शर्मा निवासी कमला कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के बहनोई श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के कमला कालोनी स्थित बंद मकान में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शिवा पुत्र सोहनवीर निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सूरज पुत्र राजेन्द्र निवासी मौहल्ला अटल विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.लव उर्फ लवी पुत्र रामकृष्ण निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी किया गया सामान (02 जोडी पायल सफेद धातु, 02 अंगूठी सफेद धातु, 06 जोडी बिछुआ सफेद धातु)।

2.चोरी की गयी नगदी (7,000/-रुपये)।

थाना कांधला/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 01.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना/गढ़ीपुख्ता/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इकराम पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला नई बस्ती सलेमपुर थाना कांधला जनपद शामली।

2.फारुख पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला नई बस्ती सलेमपुर थाना कांधला जनपद शामली।

3.जयकुमार पुत्र बीजा निवासी ग्राम डांगरौल थाना कांधला जनपद शामली।

4.प्रवीण पुत्र श्रीपाल निवासी मौहल्ला बड़ीआल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.राजू शर्मा पुत्र बीरपाल निवासी मौहल्ला रामशाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2023 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सुनील पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में आज दिनांक 01.10.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त सुनील उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 354ए भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 3,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 452 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में 05 वर्ष का कारावास की सजा व 5,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.विपिन पुत्र ईश्वर निवासी मौहल्ला बूढ़ा बाबू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शस्त्र अधिनियम के 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व अर्थदंड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2010 में अभियुक्त महताब पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 923/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त महताब उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 01.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,500/- रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2019 में अभियुक्त नसीम पुत्र शाहनजर निवासी ग्राम दभेड़ी खुर्द थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 169/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त नसीम उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 01.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,500/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त उपरोक्त:-

1.महताब पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

2.नसीम पुत्र शाहनजर निवासी ग्राम दभेड़ी खुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI